



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257307 CG-DL-E-20092024-257307

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946

No. 542]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. **584(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नुलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-


- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
  - (क) "अधिनियम" से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 अभिप्रेत हैं;

6112 GI/2024 (1)



- (ख) "विवाद" से घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी द्वारा अपीलीय फोरम के समक्ष दायर की गई अपील, रिट या विशेष अनुमित याचिका, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष दायर की गई आक्षेपों और विवाद समाधान पैनल ने कोई निदेश जारी नहीं किया है, या विवाद समाधान पैनल ने उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उप-धारा (5) के अधीन निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने उस धारा की उप-धारा (13) के अधीन निर्धारण पूरा नहीं किया है, या अधिनियम की धारा 264 के अधीन दायर आवेदन नहीं किया है, अभिप्रेत है ।
- (ग) "प्ररुप" से इन नियमों से उपबद्ध प्ररुप अभिप्रेत है;
- (घ) "घोषणाकर्ता के पक्ष में शामिल मुद्दे" से वह मुद्दे अभिप्रेत है जिनके संबंध में
  - (i) अपीलीय फोरम के समक्ष आयकर प्राधिकरण द्वारा एक अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है, या
  - (ii) आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की जाती है या घोषणाकर्ता द्वारा विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप दायर किए जाते हैं, जिन पर उसे पहले ही आयकर अपीलीय अधिकरण से उसके पक्ष में निर्णय मिल चुका है। (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है) या उच्च न्यायालय (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है), या
  - (iii) आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा एक अपील दायर की जाती है, जिस पर उसे पहले ही उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय मिल चुका है (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है)।
- (ङ.) "नए अपीलकर्ता मामले" से "पुराने अपीलकर्ता मामले" से भिन्न कोई मामला अभिप्रेत है, जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 के पश्चात किंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले का अपीलकर्ता है;
- (च) "पुराने अपीलकर्ता मामले" का अर्थ है जहां घोषणाकर्ता किसी कर बकाया के संबंध में 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले अपीलकर्ता है और ऐसे कर बकाया के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख पर उसी अपीलीय मंच पर अपीलकर्ता बना हुआ है;
- (छ) "धारा" से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा अभिप्रेत है, जैसा कि उक्त अधिनियम के अध्याय IV में शामिल है:
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ और परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें उन अधिनियमों में दिया गया हैं।
- 3. घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम. (1) जहां कोई घोषणाकर्ता अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को 31.12.2024 को या उससे पूर्व घोषणा फाइल करता है, वहां अधिनियम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम अधिनियम की धारा 90 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित रकम होगी जो उक्त सारणी के पहले,दूसरे और तीसरे परंतुक में यथा उपबंधित शर्तों के अधीन होगी।
- (2) जहां कोई घोषणाकर्ता अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को 01.01.2025 को या उसके पश्चात् किन्तु अंतिम तारीख को या उससे पूर्व घोषणा फाइल करता है, वहां अधिनियम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम धारा 90 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (4) में यथा उपबंधित रकम होगी जो उक्त सारणी के पहले,दूसरे और तीसरे परंतुक में यथा उपबंधित शर्तों के अधीन होगी।
- (3) जहां विवाद में घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे शामिल हैं, ऐसे मुद्दों के संबंध में विवादित कर वह रकम होगी, जो विवाद में सभी मुद्दों पर संदेय कर, अधिभार और उपकर सहित, के समानुपात में होगी, जो कि घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दों के संबंध में विवादित आय, विवाद में सभी मुद्दों के संबंध में विवादित आय के समानुपात में होगी।

3



परंतुक कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका दायर की है, अपीलकर्ता द्वारा एकल प्ररुप -1 फाइल किया जाएगा।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन घोषणा और उपक्रम को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 140 के अनुसार घोषणाकर्ता या उसकी ओर से आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- (3) अभिहित प्राधिकारी, घोषणा की प्राप्ति पर उसकी पावती में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रसीद जारी करेगा।
- **5. अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र का प्ररुप.-** अभिहित प्राधिकारी धारा 92 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररुप-2 में जारी करेगा।
- **6. संदाय की सूचना** अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार धारा 92 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट संदाय की सूचना, अपील, आक्षेप, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमित याचिका या घोषणाकर्ता द्वारा प्ररुप-3 में अभिहित प्राधिकारी को फाइल दावे के साथ, प्रस्तुत की जाएगी।
- **7. अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश.**-धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के संदाय के संबंध में धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश, प्ररुप-4 में होगा।
- 8. प्रक्रिया, फार्मेट और मानकों का अधिकथन.-(1)यथादशा, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धित) या आयकर महानिदेशक (पद्धित) नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन प्ररुप-1 में घोषणा और वचनबंध प्रस्तुत करना और सत्यापित करने, नियम 5 के अधीन प्ररुप-2 में प्रमाण पत्र जारी करने, नियम 6 के अधीन प्ररुप-3 में संदाय की सूचना और निकासी का प्रमाण जारी करने और नियम 7 के अधीन प्ररुप-4 में आदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया, फार्मेट और मानक अधिकथित करेंगे।
- (2) प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धित) या आयकर महानिदेशक (पद्धित) उक्त घोषणा, वचनबंध, प्रमाण-पत्र, सूचना और आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
- 9. उन मामलों में विवादित कर की गणना करने की रीति जहां हानि या शेष अवक्षयण कम हो जाता है- जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में विवाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रनीत हानि या शेष अवक्षयण में कमी से संबंधित है, घोषणाकर्ता (i) विवादित कर में उस रकम पर संदेय कर, जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है, शामिल करेगा जिससे हानि या शेष अवक्षयण कम हो जाता है और हानि या शेष अवक्षयण में कटौती की ऐसी रकम की अनदेखी करके हानि या शेष अवक्षयण को आगे ले जाएगा।
- (ii) या हानि या शेष अवक्षयण की घटी हुई रकम को आगे ले जाएगा।
- (2) जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) में यथा उपबंधित विकल्प का प्रयोग करता है, वहां वह पश्चातवर्ती वर्षों में हानि या शेष अवक्षयण की कम की गई रकम को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप, अधिभार और उपकर सहित कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही ब्याज, यदि कोई हो, का भी संदाय करेगा:

परंतुक कि वर्ष के अंतिम दिन पर आस्ति के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य, जिसके संबंध में शेष अवक्षयण कम कर दिया गया है, शेष अवक्षयण में कटौती की रकम से नहीं बढ़ाया जाएगा।



परंतुक कि उप-नियम (1) के खंड (ii) में आगे ले जाने के लिए हानि या शेष अवक्षयण की कम की गई रकम की गणना करते समय, उस रकम का आधा हिस्सा जिससे हानि या शेष अवक्षयण कम किया गया है, कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में कवर किए गए मुद्दों से संबंधित है।

- 10. उन मामलों में विवादित कर की गणना / करने की रीति जहां / (एमएटी) प्रत्यय कम हो जाता है –(1) जहां किसी निर्धारण वर्ष में विवाद न्यूनतम अनुकल्पी कर एमएटी प्रत्यय में कटौती आगे ले जाने से संबंधित है, घोषणाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प होगें (i) विवादित कर में आगे ले जाने के लिए एमएटी प्रत्यय में कटौती की गई रकम को शामिल करेगा और कटौती की ऐसी रकम को अनदेखा करके एमएटी प्रत्यय को आगे ले जाएगा।
- (ii) या कम किए गए एमएटी प्रत्यय को आगे ले जाएगा।
- (2) जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वहां वह पश्चातवर्ती वर्षों में कम किए गए एमएटी प्रत्यय को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप, अधिभार और उपकर सहित कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही ब्याज, यदि कोई हो, का भी संदाय करेगा:

परंतुक कि उप-नियम (1) के खंड (ii) में आगे ले जाने के लिए एमएटी प्रत्यय की कम की गई रकम की गणना करते समय, एमएटी प्रत्यय में कम की गई रकम के आधे हिस्से को कटौती के लिए माना जाएगा, यदि ऐसी कमी घोषणाकर्ता के पक्ष में कवर किए गए मुद्दों से संबंधित है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए एमएटी प्रत्यय का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115 ञकक या 115 ञघ के उपबंधों के अनुसार कर प्रत्यय अभिप्रेत है।

#### प्ररुप-1

### (नियम 4 देखिए)

वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 की धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा और उपधारा (4) के अधीन वचनबंध फाइल करने के लिए प्ररुप

### (प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन)

भाग क 🗕 साधारण सूचना

पैन (अनिवार्य क्षेत्र)	टैन(अनिवार्य यदि टैन अधारित अपील)	संर	बाईल ब्या	
अधार		अपीलकर्ता	ई मेल	
सं.		का नाम	पता	
अपील संदर्भ संख्या (एआरएन) [यदि निर्धा		निर्धारण वर्ष		
दोनों एक ही आदेश के खिलाफ अपील में	हैं, तो दोनों एआरएन			
प्रदान करें](एक पंक्ति जोड़ें)				
वित्तीय वर्ष(केवल तभी प्रस्तुत किया जाना	चाहिए जब टैन			
आधारित अपील हो)				
गानम से संबंधित सन्तर				

पात्रता से संबंधित सूचना

क्या आवेदक डी.टी.वी.एस.वी. की धारा 89 के निबंधनों में अपीलकर्ता है और वह | हां | नहीं डी.टी.वी.एस.वी. की धारा 96 के निबंधनों में आवेदन करने के लिए अपात्र नहीं है?

अपीलकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प

क्या हानि में कमी या अवक्षयण या MAT प्रत्यय पर कर का संदाय करना है

यदि हाँ तो A के अधीन सुसंगत अनुसूची पर जाएँ; यदि नहीं तो अनुसूची घ के अधीन अनुसूची xxvii भरें

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

## भाग ख – विवाद से संबंधित सूचनाः(पृथक प्ररुप-1 प्रत्येक विवाद के लिए घोषणा)

कर बकाया व प्रकृति	की	विवादित कर / विवादित ब्याज / विवादित शास्ति/ विवादित फीस	22.07.2024 तक लंबित अपील / आक्षेप / पुनरिक्षित आवेदन का ित् (1) क्या अपील / आक्षेप / संशोधन (2)अपीलीय प्ररुप – जेसीआईटी / आईटी / पीसीआईटी / आईटी एर्ट (3) द्वारा फाइल – (सुसंगत विनिधीरिती / विभाग / दोनों (4) फाइल करने की तारीख (5) क्या डी आरपी मामला है? (6) यदि हां, तो क्या डी आरपी द्वार पूर्व निदेश पारित किए गए थे? (7) यदि हां, तो क्या एओ द्वारा व् (यदि हां, तो पात्र नहीं) (8) लागू अनुसूची (एं) (ई-फाइलि प्रदान किया जाएगा)	वेवरण /रिट/एसएलपी है? ो(ए)/सीआईटी(ए)/डीआरपी/ ो/एचसी/एससी कल्प पर निशान लगाएं) – रा 22.07.2024 को या उससे	(ई-फाइलिंग यूटिलिर्ट डाउन उपलब्ध कराय जाएगा)विवादित कर प्रकृति, अपीलीय फोर अपीलकर्ता सुसंगत के संयोजन के आधार घोषणाकर्ता द्वारा भरा	ा की म और अनुसूची पर
कर बकाया अवधारित क वाले आदेश विवरण (1) धारा जिर अधीन आदेश पारित किया (2) आयकर प्राधिकारी/अ ल फोरम जि आदेश पारित किया (3) आदेश पारित होने व तारीख (4) क्या यह 194झक/19 ख/194ड से संबंधित विवा है – हाँ नहीं	का सके रा गया पी सने त ठी धारा	(ई-यूटीलीटी प्रदान करने के लिए ड्रॉप डाऊन)	यदि घोषणा विवादित टीडी सिहत विवादित कर के लिए एसएलपी के संबंध में है, ते कर के संबंध में लगाए गए लिए कोई अपील, रिट या ए हां/नहीं	ए अपील, रिट, ो क्या ऐसे विवादित ब्याज या जुर्माने के	यदि हां, तो ऐसी अ रिट या एसएलपी क दें। (विवरण ई-फाइ यूटिलटी में दर्ज कि जाएगा)	ग ब्यौरा लिंग
		ाया से संबंधित सृ				· <del></del>
		या (अनुसूची के अ				
		म से संबंधित सूचन		मार्गाच अस्तर में के बहु	<del></del>	<del></del>
(ii)   링	ICIQIŲ	सवा क अधान सद 1 <b>024</b> के पूर्व धोषा	य कुल रकम यदि ण की जाती है	सुसंगत अनुसूची से भ से विभाग की अपील के म	१ ७०।ना (दाना निधा) गाले भें उस एर जोड	रता तथि। र जाटा
			य कुल रकम यदि आग की जानी है	सुसंगत अनुसूची से म से		
31.12.2024 के पश्चात धोषणा की जाती है विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना) भाग ड. – कर बकाया के विरुद्ध संदाय से संबंधित सूचना						
				र बक्ताम के किएन	ੜਾਂ	<del>. 1</del> .
		णाकता न धाषणा । ाय किया है या नर्ह	पत्र फाइल करने से पहले क <sup>ृ</sup> हें <b>?</b>	र बकाया क विरुद्ध	हां	नहीं



6	THE GAZET	[PART II—SEC. 3(i)]					
(ii)	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित वि	वरण भरें					
क्रम	संदाय की तारीख	रकम	बीएसआर कोंड	चलान क्रम सं.			
सं0							
1.	<del></del>						
( <b>iii</b> ) भाग च	कर बकाया के विरुद्ध कुल संदाय अपीलकर्ता द्वारा संदेय/प्रतिदाय य		मा प 🕬 प्रवास शाम	7			
माग प	(iii)	विवादशा शुद्ध रकम: माग व ( <b>।)</b>	या य ( <b>II)</b> यटाप माग	S.			
		सत्यापन		·			
मैं							
	स्थान तारीख घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर						
	तत्त्वतं ध						

<u>वचनबंध</u>
   सेवा में,
अभिहित प्राधिकारी
महोदय/महोदया,
*मैं,
नंबररखने का निर्णय लिया है और वित्त (सं.2) अधिनियम,2024 (2024 का 15) के अध्याय 6
के अधीन उपबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 का फायदा उठाने का निर्णय लिया है, स्वेच्छा से अपने सभी
अधिकारों का परित्याग करता हूँ, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कर-बकाया के संबंध में कोई उपाय या दावा करने या आगे
बढ़ाने के लिए जो अन्यथा मुझे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन, साम्या में, क़ानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर
किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन उपलब्ध हो सकते हैं, चाहे विनिधान की सुरक्षा के लिए हो
या अन्यथा।
*मैं,पदनाम
रखता हूँ, इस संबंध में विधिवत् अधिकृत और सक्षम होने के
नाते,(घोषणाकर्ता का नाम) के निमित्त, जिसका पैन संख्या(घोषणाकर्ता का पैन
संख्या) है, और वित्त (सं.2) अधिनियम,2024 (2024 का 15) के अध्याय 6 के अधीन उपबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

योजना, 2024 का लाभ उठाने का निर्णय लेने के पश्चात, कर-बकाया के संबंध में कोई उपाय या दावा करने या आगे बढ़ाने
के अपने सभी अधिकारों को, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, स्वेच्छा से त्यागता हूँ, जो मुझे अन्यथा तत्समय प्रवृत किसी विधि के
अधीन, साम्या में, क़ानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन
उपलब्ध हो सकता है, चाहे विनिधान की सुरक्षा के लिए हो या अन्यथा।
उपरोक्त वचनबंध अपरिवर्तनीय है।
मैं यह भी वचनबंध करता हूं कि वित्त (सं.2) अधिनियम,2024 की धारा 96 के उपबंध इस मामले में आकर्षित नहीं होते हैं।
मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से अवगत हूँ।
स्थान:
हस्ताक्षर/सत्यापन
तारीखः
टिप्पण:
*जो लागू न हो उसे काट दें।

## अनुसूची क लागू होती है जहां घोषणा विवादित कर से संबंधित होती है (पैन के मामले में लागू)

## संयोजन: विवादित कर + जेसीआईटी(ए)/ सीआईटी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची 1 उस दशा में भरा जाना है जब 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील जेसीआईटी (ए)/सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है	क	
	क से विवादित आय		
	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए	ख(i)	
	उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के		
ख	आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय		
	(और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं		
	गया है)		
	(ii) ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	बी(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	ञगझन या गझन  द्वारा वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो,	ड.	
च	कुल विवादित कर (ग+घ+ड)	च	
छ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	छ	
ज	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	ज	
झ	बकाया कर (च+छ+ज)	झ	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर संदेय रकम		
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५*ग+घ+ड.	H	
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.55*ग+1.1*घ+1.1*ड.		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम		
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५५*ग+१.१*घ+१.१*ड.	म	
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.६*ग+1.2*घ+1.2*ड.		



#### संयोजन: विवादित कर + डीआरपी प्रारुप आदेश + निर्धारिती


## अनुसूची II. उस दशा में भरा जाना है जब निर्धारिती ने प्रारुप निर्धारण आदेश के खिलाफ डीआरपी के पास आक्षेप दर्ज किए हों और डीआरपी ने 22.07.2024 तक कोई निदेश जारी नहीं किया हो।

	*	_
क	प्रारूप आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध आक्षेप फ़ाईल किए जाने है	क
	क से विवादित आय -	
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)
	5.3.4.0	ਹਰ(::)
		ख(ii)
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.
च	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	च
छ	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	छ
ज	बकाया कर (ड.+च+छ)	ज
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5*ग+घ पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग+1.1*घ	ਮ
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55*ग+1.1*घ पुराना अपीलकर्ता 0.6*ग+1.2*घ	म

#### संयोजन: विवादित कर+डीआरपी निदेश + निर्धारिती

अनुसूची III. उस दशा में भरा जाना है जब डीआरपी ने निर्धारिती द्वारा दायर आक्षेपों के जवाब में आयकर अधिनियम की धारा 144 सी के अधीन निदेश जारी किए हैं और कर निर्धारण अधिकारी ने 22.07.2024 तक डीआरपी द्वारा जारी ऐसे निदेशों के अनुसार आदेश पारित नहीं किया है।

क	डीआर	पी के निदेशानुसार कुल आय	क	
	क से ि	वेवादित आय		
	(i)	उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने		
ख		मामलें में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को	ख(i)	
G		बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है) या उच्च न्यायालय (और इस	G(I)	
		तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)		
	(ii)	ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग		विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ		में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड		वेवादित कर (ग+घ)	ड.	
च		त कर पर प्रभारित ब्याज	च	
छ	विवादि	त कर पर उदग्रहित शास्ति	छ	
ज		T कर (ड+च+छ)	<b>ज</b>	
भ		.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर संदेय रकम		
		।पीलकर्ता मामला ०.५*ग+घ	भ	
		अपीलकर्ता मामला ०.५५*ग+१.१*घ		
म		.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम		
		ापीलकर्ता मामला ०.५५*ग+१.१*घ	म	
	पुराना	अपीलकर्ता मामला 0.6*ग+1.2*घ		



## संयोजन: विवादित कर+आईटीएटी+निर्धारिती अनुसूची IV. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरना होगा

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है	क	
	क से विवादित आय		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा किस भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	<b>ख</b> (i)	
	(ii) ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	छ	
ज	कर बकाया (ड+च+छ)	ज	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5*ग+घ पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग+1.1*घ	ਮ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55*ग+1.1*घ पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*ग+1.2*घ	म	

## संयोजन: विवादित कर + आईटीएटी + विभाग

अनुसूची v. उस दशा में भरा जाना है जब विभाग की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है।

	. उस देशा न नरा जाना ह जब पिनांग का जवारा 22.07.2024 तक ITAT के समझ रा		
क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी	क	
	है		
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	મ	
	नया अपीलकर्ता मामला ०.5*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.55*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*ग		

## संयोजन: विवादित कर+एचसी+निर्धारिती अनुसूची VI. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई है	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	ਤ.	
च	कर बकाया (ग+घ+ई)	च	
મ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला ग		



	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला १.१*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2*ग		

#### संयोजनः विवादित कर+एचसी+विभाग

अनसची VII यदि 22 07 2024 तक विभाग की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।

ગંદુપૂષા	था. बाद 22.07.2024 तक विकास का जनात वा रिट ठव्य न्यावास व सावत है ता इस	4171 411	.11 6 1
क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	ন্ত.	
च	कर बकाया (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५५*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*ग		

## संयोजन: विवादित कर + एससी + निर्धारती

अनुसूची VIII. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

	ता इस नरा जाना है।		
	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
	क से विवादित आय	ख	
	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	डं	
	बकाया कर (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1ग		
	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 1.1*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2*ग		

## संयोजन: विवादित कर + एससी + विभाग

## अनुसूची IX. उस दशा में भरा जाना है जब 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

	TO MAN (T)		
क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	ਮ	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.5*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	·
	नया अपीलकर्ता मामला 0.55*ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*ग		

#### संयोजन: विवादित कर + 264 + निर्धारिती

## अनुसूची X. धारा 264 के अंतर्गत निर्धारिती का पुनरीक्षित आवेदन 22.07.2024 तक PCIT/CIT के समक्ष लंबित होने की दशा में भरा जाना है।

GIJI AVI	हारा परा प्रसा म नरा जाता है।				
क	फाइल की गई पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क			
ख	क से विवादित आय	ख			
ग	ख के अतिरिक्त विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग			
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ			
ड	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	ड.			
च	बकाया कर (ग+घ+ड)	च			
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	ਮ			
	नया अपीलकर्ता मामला ग				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1ग				
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म			
	नया अपीलकर्ता मामला 1.1*ग				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2*ग				

## ख. अनुसूची लागू होगी जहां विवादित टीडीएस/टीसीएस (टीएएन के लिए लागू) से संबंधित घोषणा है।

सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस जेसीआईटी(ए)/ सीआईटी(ए)कटौतीकर्ता/क्लक्टर अनुसूची XI. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक JCIT(A)/CIT(A) के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

	अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम	क	क(i)+क(ii)
	(i) मुद्दों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किस वित्तीय वर्ष के लिए उनके संबंध	क(i)	
	में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्च न्यायालय		
क	द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया हैं) या उच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय		
	द्वारा पश्चातवर्ती उल्टा नहीं गया है।)		
	(ii) क(i) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	क(ii)	
ख	वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो, जेसीआईटी(ए)/ सीआईटी (ए) द्वारा	ख	
ग	विवादित <b>टीडीएस/टीसीएस</b> पर प्रभारित ब्याज	ग	
घ	विवादित <b>टीडीएस/टीसीएस</b> पर उदगृहीत शास्ति	घ	
ड	<b>टीडीएस/टीसीएस</b> बकाया कर (क+ख+ग+घ)	ड.	
મ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम		
	नया अपीलकर्ता मामला 0.5*क(i)+क(ii)+ख		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख		
		મ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलुकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*क(i)+1.20*क(ii)+1.20*ख		

#### सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

## अनुसूची XII. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित है तो इसे भरना होगा ।

	अपील य	में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम	क	क(i)+क(ii)
	(i)	मुद्दों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किस निर्धारण वर्ष के लिए उनके	क(i)	
		संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्चतम		
क		न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया हैं)		
	(ii)	क(i) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	क(ii)	
ख		टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित	टीडीएस/टीसीएस पर उदगृहीत शास्ति	ग	



घ	<b>टीडीएस/टीसीएस</b> बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम		
	नया अपीलकर्ता मामला 0.5*क(i)+क(ii)+ख	भ	
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*क(i)+1.20*क(ii)+1.20*ख		

## सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+विभाग

## अनुसूची XIII. यदि विभाग की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

	अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम				
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई	क			
ख	विवादित <b>टीडीएस/टीसीएस</b> पर प्रभारित ब्याज	ख			
ग	विवादित <b>टीडीएस/टीसीएस</b> पर उदग्रहीत शास्ति	ग			
घ	<b>टीडीएस/टीसीएस</b> बकाया (क+ख+ग)	घ			
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम				
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.५५क				
		भ			
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म			
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५५क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.६क				

## सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस+एचसी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

#### अनुसूची XIV. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरना होगा।

	अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम				
क	<b>टीडीएस/टीसीएस</b> व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई	क			
ख	विवादित <b>टीडीएस/टीसीएस</b> पर प्रभारित ब्याज	ख			
ग	विवादित <b>टीडीएस/टीसीएस</b> पर उदग्रहीत शास्ति	ग			
घ	<b>टीडीएस/टीसीएस</b> बकाया कर (क+ख+ग)	घ			
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम				
	नया अपीलकर्ता मामला क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1क				
		भ			
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म			
	नया अपीलकर्ता मामला 1.1क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2क				

## सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस+एचसी+विभाग

## अनुसूची XV. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।

	अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम				
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई	क			
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख			
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग			
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ			



[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13

भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55क		
		भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55क	म	
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6क		

## सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस+एससी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

## अनुसूची XVI. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

111711 (	तावत ६ ता इस नरा जाना है।				
	<b>अपील में विवादित</b> टीडीएस/टीसीएस <b>की रकम</b>				
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका				
	फाइल की गई है				
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख			
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उद्ग्रहीत शास्ति	ग			
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ			
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम				
	नया अपीलकर्ता मामला क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला १.१क				
		भ			
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म			
	नया अपीलकर्ता मामला 1.1क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2क				

## सहयोजनः विवादित टीडीएस/टीसीएस+एस सी+विभाग

## अनुसूची XVII. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

	<b>अपील में विवादित</b> टीडीएस/टीसीएस <b>की रकम</b>			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका	क		
	फाइल की गई है			
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख		
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग		
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ		
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम			
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५क			
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.५५क			
		भ		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म		
	नया अपीलकर्ता मामला ०.५५क			
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6क			



## संयोजन: विवादित टी डी एस/ टी सी एस+ 264+कटौतीकर्ता/ कलेक्टर

## अनुसूची XVIII. धारा 264 के अधीन निर्धारिती का पुनरीक्षित आवेदन 22.07.2024 तक PCIT/CIT के समक्ष लंबित होने की दशा में भरा जाना है।

अपील में	अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादित टी डी एस टी सी एसकी रकम				
क	टी डी एस/ टी सी एस व्यतिक्रम जिसके लिए पुनरीक्षित आवेदन दायर किया गया	क			
ख	विवादित टी डी एस/ टी सी एस पर प्रभारित ब्याज	ख			
ग	विवादित टी डी एस/ टी सी एसपर उदग्रहीत शास्ति	ग			
घ	बकाया टी डी एस/ टी सी एस(क+ ख + ग)	घ			
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	भ			
	नया अपीलकर्ता मामला क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1क				
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम	म			
	नया अपीलकर्ता मामला 1.1क				
	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2क				

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + सी आई टी (ए)/ जे सी आई टी (ए) + निर्धारिती

ग. अनुसूची वहां लागू होती हैं जहां विवादित शास्ति, ब्याज या फीस से संबंधित घोषणा ही केवल हो (पैन और टैन के लिए लागू)।

## अनुसूची XIX. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक JCIT(A)/CIT(A) के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	आदेश के अनुसार शास्ति/ ब्याज/ फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील		
	फाईल की गई		
ख	विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस की रकम (क) में से	क	
	(i) मुद्दों से संबंधित, जो कि आई टी ए टी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिएनिर्धारिती	ख(i)	ख(i)+
	के पक्ष में उसके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा		ख(ii)
	तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय		. ,
	द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)		
	(ii) ख (i) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	सी आई टी (क) /जेसीआईटी(क) दवारा बढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित शास्ति ब्याज या		
	फीस		
घ	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)+ ग	घ	
ਮ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख (i)+0.25* ख (ii)+0.25* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.15* ख (i)+0.3* ख (ii)+0.3* ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख (i)+0.3* ख (ii)+0.3* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख (i)+0.35* ख (ii)+0.35* ग		

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + आई टी ए टी + निर्धारिती

## theTAXtalk

## अनुसूची XX. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरना होगा

क	आदेश के अनुसार शास्ति/ ब्याज/ फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई	क	
ख	ख निर्धारिती द्वारा अपील के लिए विवादित शास्ति/ब्याज/ फीस		ख(i)+ख (ii)
	(i) मुद्दों से संबंधित, जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उनके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख (ii) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	ख (ii)	
ग	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख (i)+0.25* ख (ii)+0.25* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.15* ख (i)+0.3* ख (ii)+0.3* ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख (i)+0.3* ख (ii)+0.3* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख (i)+0.35* ख (ii)+0.35* ग	म	

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + आई टी ए टी + विभाग

## अनुसूची XXI. यदि विभाग की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है

क	आदेश के अनुसार शास्ति/ ब्याज/ फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई	क	
ख	मुद्दों से संबंधित विवादित शास्ति/ ब्याज /फीस जिस पर अपील फाइल की गई है	ख	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख +0.125* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख +0.175* ग	म	

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्च न्यायालय + निर्धारिती

## अनुसूची XXII. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के लिए विवादित शास्ति/ब्याज /फीस अपील में संदेय	ख	
ग	बकाया कर ख	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ	



	नया अपीलकर्ता मामला 0.25* ख +0.25* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.35* ख +०.35* ग		

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्च न्यायालय + विभाग

## अनुसूची XXIII. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट		
	फाइल की गई	क	
ख	अपील में उठाए गए मुद्दों पर विवादित शास्ति/ब्याज /फीस	ख	
		_	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
ਮ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख +0.125* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.15* ख +0.15* ग		
म	01.01.2025 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख +0.175* ग		

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्चतम न्यायालय + निर्धारिती

# अनुसूची XXIV. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाइल की गई	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के लिए विवादित शास्ति/ब्याज /फीस	ख	
લ	निधारता द्वारा अपाल के ।लए विवादित शास्ति/ब्याज /फास 	લ	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.25* ख +0.25* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.35* ख +0.35* ग		

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्चतम न्यायालय + विभाग

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

## अनुसूची XXV. उस दशा में भरा जाना है जब 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाईल की गई	क	
ख	अपील में उठाए गए मुद्दों पर विवादित शास्ति/ब्याज /फीस	ख	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
ਮ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख +0.125* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला ०.15* ख +0.15* ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	म	
	नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग		
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख +0.175* ग		

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज /फीस + 264+निर्धारिती

## अनुसूची XXVI. धारा 264 के अधीन निर्धारिती का पुनरीक्षित आवेदन 22.07.2024 तक PCIT/CIT के समक्ष लंबित होने की दशा में भरा जाना है।

अपील में	अपील में विवादित टी डी एस/ टी सी एस की रकम					
क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित	क				
	आवेदन फाईल किया गया					
ख	विवादित शास्ति/ब्याज /फीस पुनरीक्षित आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर	ख				
घ	बकाया कर (ख)	घ				
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ				
	नया अपीलकर्ता मामला 0.25* ख +0.25* ग					
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग					
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	म				
	नया अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग					
	पुराना अपीलकर्ता मामला 0.35* ख +0.35* ग					

## घ. यदि अपीलकर्ता घटे हुए हानि/अवक्षयण या एमएटी प्रत्यय को आगे बढ़ाने के प्रभाव वाले परिवर्धन पर कर का संदाय न करने का विकल्प चुनता है तो निम्नलिखित अनुसूचियां भरी जानी चाहिए।

## अनुसूची XXVII- क.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.फाइल	3.वीएसवीएस	4.स्तंभ (2) में	5.स्तंभ (३) में	6.स्तंभ	७.स्तंभ	8.वर्ष में
विवरणी के	निपटान के	हानि/शेष	हानि/शेष	(4) में	(5) में	संदेय
अनुसार	पश्चात आगे ले	अवक्षयण को	अवक्षयण को	आय	आय	अतिरिक्त
हानि/शेष	जाई गई	ध्यान में रखते	ध्यान में रखते	पर	पर	कर, यदि
अवक्षयण को	हानि/शेष	हुए आय	हुए आय	कर*	कर*	कोई हो
आगे बढ़ाया	अवक्षयण			प्लस	प्लस	[(7) –
गया				ब्याज	ब्याज	(6)]

theTAXta	Ik

		T		1	
सुसंगत वर्ष					
ਰਲੀ					
44					
सुसंगत वर्ष +1					
<del></del>					
dA					
+1					
सुसंगत वर्ष +2					
gara					
वष					
+2					
1 2					
•••					

<sup>\*</sup>कर में अधिभार और उपकर शामिल हैं

## अनुसूची xxvII-ख.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.फाइल विवरणी के अनुसार एमएटी प्रत्यय आगे बढ़ाया गया	3.वीएसवीएस निपटान के पश्चात एमएटी प्रत्यय को आगे बढ़ाया गया	4.स्तंभ (2) में एमएटी प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आय	5.स्तंभ (3) में MAT प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आय	6.स्तंभ (4) में आय पर कर* प्लस ब्याज	7.स्तंभ (5) में आय पर कर* प्लस ब्याज	8.वर्ष में संदेय अतिरिक्त कर, यदि कोई हो [(7) – (6)]
सुसंगत वर्ष							
सुसंगत वर्ष +1							
सुसंगत वर्ष +2							

\*कर में अधिभार और उपकर शामिल हैं

#### प्ररूप-2

## [नियम 5 देखिए] वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाण पत्र

## [प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन]

आधारि	त अपील है	(जिसे : ) ने 1 के अधीन घ	प्ररुप-1	में पावती सं	गेषणाकर्ता कहा गर ख्याऔर तार्र	या है) पैन. खद्वार	रा वित्त (सं	और टैन ( . 2) अधिनि	अनिवार्य, यदि टैन  यम, 2024 (2024
के पश्चा	त् निम्नलिखि	वेत रकम अधि	धेनियम के	रु अधीन उ	रा प्रदत्त शक्तियों क क्त घोषणा के अंतग् ने के लिए अवधारित	ति आने व	ाला कर ब		
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष(केवल तभी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब TAN अधारित अपील हो)		समाधान ब्यौरें अपील दाखिल करने की तारीख	कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित शास्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर- बकाया (रु.)	धारा 90 के अधीन संदेय रकम	कर- बकाया के लिए हेल एहले ही संदत रकम	पहले से संदत रकम समायोजित करने के पश्चात संदेय/प्रतिदाय के लिए अतिशेष रकम
(1)	(2)	(3)	(4 क)	(4 ख)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)
पन्द्रह वि उक्त अ जाएगा ी	देन के भीत वधि के भीत के वह कर्भ	र उपरोक्त स्त तर संदेय रका पी नहीं दिया ग	नंभ(9) में र म के असंद	उपबंधित अ	राशि का संदाय, य ानुसार करे। वत प्ररूप-1 के अधी		को शून्य र		गा और यह समझा 



## प्ररूप-3 [नियम 6 देखिए]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

# वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन संदाय की सूचना (प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन)

सेवा में, अभिहित	प्राधिकारी				
महोदय/ग	महोदया,				
बाबत ए.वाई	/एफ.वाई(केवल तभी	नाम) पैन/और टैन(र प्रस्तुत करना है यदि टैन र	अनिवार्य यदि टैन आधारित अपील है	तारीखहै) आधारित अपील है) ), अपील संदर्भ सं.(पंज्ञित इंग्रिसका ब्यौरा निम्नानुर	 क्त
क्र.सं.	बैंक की बी.एस.आर. कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्र.सं.	रकम (रु.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
. ,					
सबूत अप स्थान : .	ा,आक्षेप, आवेदन रिट याचिक ग्रलोड करें) । 	ग, विशेष इजाज़त याचिका, या व	दावा का प्रत्याहरण	किया गया है (कृपया प्रत्याहरण	का
				 हस्ताक्षर/सत्या	 पन



#### प्ररुप-4 [नियम ७ देखिए]

## वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 93 के साथ पठित धारा 92की उपधारा (2) के अधीन कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए आदेश (प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन)

	(प्रत्यत	श पर ।पपाप	तापद्वात स्पराम, 2	.024 पे जवान)	
	वोषणाकर्ता का नाम और पैन/आधा 5) की धारा 91 के अधीन घोषणा र्क		से इसमें इसके पश्चात	न् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त (सं. 2) उ	ाधिनियम, 2024
संदेय / प्रतिद	ाय योग्य रुपये की रक	म अवधारित व	गी और एक प्रमाणप <u>ः</u>	. द्वारा अधिनियम के उपबंधो के अनुसार ६ व प्रदान किया जिसमें कर-बकाया का विवरा रण के पश्चात संदेय /प्रतिदाय योग्य रकम व	ण और नीचे दिए
अतः, अब, अ कि-	धिनियम की धारा 93 के साथ पठित	। धारा 92 की	उपधारा (२) द्वारा प्रव	त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणि	त किया जाता है
	रीखके आदेश संख्या 1ये की रकम का संदाय किया गया		अवधारित कर-बका	या के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए घ	गेषणाकर्ता द्वारा
कोई कार्यवाह		ति के अधीन	शास्ति अधिरोपित व	का 43) के अधीन किसी भी अपराध के लिए रने से उनमुक्ति दी जाती है [अधिनियम	
निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष (केवल टैन आधारित अपील के लिए प्रस्तुत किया जाना है)	निपटाये गये	विवाद का विवरण	कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर / विवादित शास्ति/ विवादित ब्याज / विवादित फीस)	कर-बकाया की रकम
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		अपील संदर्भ संख्या (3क)	अपील दाखिल करने की तारीख (3ख)		
या विशेष अनु घोषणाकर्ता य स्थानतारीख प्रति (1) घोषणाक (2) निर्धारण	नुमति याचिका में पक्षकार होने के न गा आयकर प्राधिकारी, ने विवाद का  तर्ती	ाते आयकर प्रा	धिकारी या घोषणाक	कार करने के समान नहीं होगा और अपील र्ता के लिए यह तर्क देना विधिपूर्ण नहीं होग नेर्णय में मौन स्वीकृति व्यक्त की है। (अभिहित प्राधिकारी)	

- (3) संबद्ध प्रधान आयकर आयुक्त
- (4) संबद्ध अपीलीय फोरम

**टिप्पण** : जो लागू न हो, उसे काट दें ।

[अधिसूचना सं. 104/2024, फा. सं./370142/16/2024 -टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

भारत का राजपत्र : असाधारण

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2024

**G.S.R. 584(E).**—In exercise of the powers conferred by section 99 of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

#### 1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Direct Tax Vivad se Vishwas Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–
  - (a) "Act" means the Finance (No.2) Act, 2024 (15 of 2024);
  - (b) "dispute" means appeal, writ or special leave petition filed by the declarant or the income-tax authority before the Appellate Forum, or objections filed before the Dispute Resolution Panel under section 144C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and the Dispute Resolution Panel has not issued any direction, or Dispute Resolution Panel has issued direction under sub-section (5) of section 144C of the said Act and the Assessing Officer has not completed the assessment under sub-section (13) of that section, or application filed under section 264 of the said Act;
  - (c) "Form" means the Forms annexed to these rules;
  - (d) "issues covered in favour of the declarant" means issues in respect of which -
    - (i) an appeal or writ or special leave petition is filed by the income-tax authority before the appellate forum; or
    - (ii) an appeal is filed before the Commissioner (Appeals) or the Joint Commissioner (Appeals), or objections is filed before the Dispute Resolution Panel, by the declarant, on which he has already got a decision in his favour from the Income Tax Appellate Tribunal (where the decision on such issue is not reversed by the High Court or the Supreme Court) or the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court); or
    - (iii) an appeal is filed by the declarant before the Income Tax Appellate Tribunal on which he has already got a decision in his favour from the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court);
  - (e) "new appellant case" means any case other than an "old appellant case" where the declarant is an appellant after the 31st January, 2020 but on or before the specified date;
  - (f) "old appellant case" means where the declarant is an appellant on or before the 31st January, 2020, in respect of any tax arrear and continues to be an appellant at the same appellate forum on the specified date in respect of such tax arrear; and
  - (g) "section" means section of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024) as included in Chapter IV of the said Act.
- (2) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or the Income-tax Act, 1961, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.



- **3. Amount payable by declarant.-** (1) Where a declarant files a declaration to the designated authority under sub-section (1) of section 91 of the Act, on or before the 31<sup>st</sup> December, 2024, the amount payable by the declarant under the Act shall be as mentioned in column (3) of the Table specified in section 90 of the Act, subject to the conditions as provided in the First, Second and Third provisos of the said Table.
- (2) Where a declarant files a declaration to the Designated Authority under sub-section (1) of section 91 of the Act, on or after the 1<sup>st</sup> January, 2025 but on or before the last date, the amount payable by the declarant under the Act shall be as provided in column (4) of the Table specified in section 90 of the Act, subject to the conditions as provided in the First, Second and Third provisos of the said Table.
- (3) Where the dispute includes issues covered in favour of declarant, the disputed tax in respect of such issues shall be the amount, which bears to tax, including surcharge and cess, payable on all the issues in dispute, the same proportion as the disputed income in relation to issues covered in favour of declarant bear to the disputed income in relation to all the issues in dispute.
- **4. Form of declaration and undertaking.-** (1) The declaration for any dispute referred to in sub-section (1) of section 91 and the undertaking referred to in sub-section (4) of the said section shall be made in Form-1 to the designated authority and shall be filed separately in respect of each order:

**Provided** that where the appellant and the income-tax authority have both filed an appeal or writ petition or special leave petition in respect of the same order, single Form-1 shall be filed by the appellant.

- (2) The declaration and the undertaking under sub-rule (1) shall be verified by the declarant or any person competent to verify the return of income on his behalf in accordance with section 140 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
- (3) The designated authority, on receipt of declaration, shall issue a receipt electronically in acknowledgement thereof.
- **5. Form of certificate by Designated Authority.-** The Designated Authority shall issue a certificate referred to in sub-section (1) of section 92 electronically in Form-2.
- **6. Intimation of payment.-** The intimation of payment as referred to in sub-section (2) of section 92, made pursuant to the certificate issued by the designated authority shall be furnished along with proof of withdrawal of appeal, objection, application, writ petition, special leave petition, or claim filed by the declarant to the designated authority in Form-3.
- **7. Order by designated authority.**-The order by the designated authority under sub-section (2) of section 92, in respect of payment of amount payable by the declarant as per certificate issued under sub-section (1) of section 92, shall be in Form-4.



- **8. Laying down of procedure, formats and standards.-** (1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for furnishing and verifying the declaration and undertaking in Form-1, under sub-rule (1) of rule 4, issuance of certificate in Form-2 under rule 5, intimation of payment and proof of withdrawal in Form-3 under rule 6 and issuance of order in Form-4 under rule 7.
- (2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said declaration, undertaking, certificate, intimation and order.
- **9.** Manner of computing disputed tax in cases where loss or unabsorbed depreciation is reduced.- (1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in loss or unabsorbed depreciation to be carried forward under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the declarant shall have an option to
  - (i) include the tax, including surcharge and cess, payable on the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced in the disputed tax and carry forward the loss or unabsorbed depreciation by ignoring such amount of reduction in loss or unabsorbed depreciation; or
  - (ii) carry forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation.
- (2) Where the declarant exercises the option as provided in clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation in subsequent years:

Provided that the written down value of the block of asset on the last day of the year, in respect of which unabsorbed depreciation has been reduced, shall not be increased by the amount of reduction in unabsorbed depreciation:

Provided further that in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

- **10.** Manner of computing disputed tax in cases where Minimum Alternate Tax ("MAT" in short) credit is reduced.- (1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in MAT credit to be carried forward, the declarant shall have an option to
  - (i) include the amount by which MAT credit to be carried forward is reduced in disputed tax and carry forward the MAT credit by ignoring such amount of reduction, or
  - (ii) carry forward the reduced MAT credit.
- (2) Where the declarant exercises the option as provided in clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward reduced MAT credit in subsequent years:



[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

Provided that in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

*Explanation.*— For the purposes of this rule MAT credit means the tax credit as provided in section 115JAA or section 115JD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

																FC	)RM	-1																
FORM	FOR I	ILING	G DEC	LA	RA'	TIO	N UN	IDE	R SU	B-SE	СТІ	ON	(1)	AND			rule RTA		IG U	NDEI	R SI	JB-8	ECT	ION	(4) OF S	ECTI	ON	91 C	F T	HE I	FINA	NCE	E (NC	0, 2)
10141	- 011	122110	, , ,													AC	T, 20	)24									011						. (211	,, <u>-</u> ,
									(U	NDER	11	IE D	IKE	CI	IAX	VI	VAD	SE	VIS	H WA	SSC	JHE	ME,	2024	)									
PART A -	CEN	EDAT	INEO	DN	(AT	ION	ī																											
PAN	GEN	EKAL	INFO	KIV	IAI	ION	Ì	T		TA	AN					T									Mobile			I						T
(mandator	ry											dato	ry												No.									
field)	field)																																	
										ap	pea	ıl)																						
Aadhaar N	No.																lame ppell								Emai	l Add	ress							
																a	ppen	am																
Appeal Re														As	sessn	nen	ıt Ye	ar																
assessee ar order, pro								ıme																										
Financial	Year			-																														
(to be furn								ITY	J																									
INFORMA										of sec	tior	189	of th	e DT	rvsv	/ aı	nd is	not	ineli	gible	to a	pply	in te	rms	of section	96 of	DT	VSV	?			1	Yes	No
						11																												
Option exe Whether o						ion	of los	ene i	or de	nrecia	tion	or	MA'	F cro	dit																			
If Yes, go																· Pa	art D	,																
PART B -			TION	RE	LAT	'IN	G TO	DIS	SPUT					FOR																				
Nature of	tax ar	rear									•	ted								ng ap vision					DRP				own ilitv)		e pro	vide	d in (	÷-
											•	ted :		rest/ altv/			07.20			131011	арр	nica	uon a	is on			11111	ıg uı	my)	,				
											-	ted		ii.		(1)	,	Whet	her A	nneal	/obie	ection	/revis	ion/W	/rit / SLP?							n of na		of pellant
											-					(2)	A	ppel	late F	orum	– JC	IT(A	)/CIT		iiii / SLI .							rum a filled		
															1.	(3)				CIT/I Tick tl				om)			decla	arant						
																(3)				)eparti				OII) —										
											(4) Date of filing (5) Whether DPR case?																							
																(5) Whether DRP case? (6) If yes, whether directions passed by DRP on or																		
																before 22.07.2024?																		
															-   '	(7) If yes, whether order passed by AO? (If yes, not eligible)																		
																(8)	A	pplic	cable		ule(s	(Dr	opdov	vn to l	oe provideo	i								
																in e-filing utility)																		
Details of	order	by whi	ch tax	arı	rear	det	ermin	ed		(D	rop	dov	vn to	o be		If d	lecla	ratio	on is	with	resp	ect	to ap	peal,	writ, SL	P	If y	es, g	ive d	letai	s of s	such	appe	al,
(1)	Sect	ion und	er whic	h o	rder 1	nacci	od.					ded i	in th	e e-											S/TCS							to be	capt	ured
(2)		me-tax						m w	ho	ut	ility	7)				appeal, is there pending appeal, writ or SLP for interest or penalty imposed in relation to such								in e-filing utility)										
(2)	-	ed the o																		ES/ N														
(3) (4)		e on whi ether it i					o sectio	on 19	04IA/																									
		B/194M	- YES	; <b></b>	]																													
			NC	• ∟	J																													
PART C -								ΓΑΣ	AR	REAR	S																							
(i) PART D -		rrears						A 3.//	OTIN	TDAX	7 A T	TE																						
(i)		amoun											de o	n or	befor	re 3	31.12	.202	4								P	ick ı	ın fr	om	X fro	m re	levai	nt
(=)			r r																-								S	ched	ule (	in ca	ise of	f botl	ass	essee
(::)	Tatal		4	.1.1.		J '	DTX	3 <b>3</b> 7 2	e J		:-		J	C4 1	11 12	20	24															dd tl m re		
(ii)	1 otai	amoun	u paya	adie	e uno	ier.	DIVS	5 V I	ı aec	агано	on is	ma	ie a	ner 3	91.12	.40.	24																	essee
																													- ,			dd tl		
PART E -	_																	:	of 1	ol-	4:	9								<b>X</b> 7	20		NI-	
(i) (ii)		nether t							y pa	ment	aga	ınst	tax	arrea	ars b	ero	re til	ıng	oi de	ciara	uon	<i>:</i>								Y	es		No	
S. No.		te of pa					an			Aı	mot	ınt											BSR	Code	e			Ī	Chal	lan S	Seria	l Nui	nber	
1.	Ι																					I												
(iii) PART F		tal pay t amou							the c	nnella	nt•	Don't	D.	i) or	· D (	i) ·	ac th	0 00	co m	av be	loc	, Do	rt IF (	iii)										
IAKIF	INE	t amou	in pa	(al)	1C/1'C	ruil	uanie	by	ше а	ррена	11ti	arl	) ע	ı) UI			ICA			ay ne,	, ress	1 d	tE(	111)										
I					(n	ame	in bl	ock	letter	s) son/	dau	ghte	r of	Shri/									. sole	mnly	declare t	hat to	the b	est c	of my	kno	wled	ge an	d be	ief the
information	n giver	in this	decla	ratio	on is	cor	rect ar	nd c	ompl	ete and	l is i	n ac	cord	ance	with	the	prov	isio	ns of	the D	irec	t Ta	x Viv	ad se	Vishwas	Scher	ne, 2	024.						

[PART II—SEC. 3(i)]

26


I further declare that I am making this declaration in my capacity as (drop d holding permanent account number (if allotted)	lown to be provided) and that I am competent to make this declaration and verify it. I am
Place	
Date	Name and signature of the declarant
	UNDERTAKING
То,	
The Designated Authority	
The Bengamen Familians	
Sir/Madam,	
	aghter of Shri/Smt
my rights, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any cl-	aim in relation to the tax-arrear which may otherwise be available to me under any law for the time being in
force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with	n any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.
	designation designation designation designation designation PAN
(PAN of declarant), and having decided to avail the	e benefit of the Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme, 2024 provided under Chapter IV of the Finance (No.2)
I	rect or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the tax-arrear which may otherwise atute or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether
for protection of investment or otherwise.	
The above undertaking is irrevocable.	
I do hereby also undertake that provisions of section 96 of Finance (No. 2) A	Act, 2024 are not attracted in this case.
I also confirm that I am aware of all the consequences of this undertaking.	
9.	
Place:	
	Signature/Verification
Date:	
Note:	
*Strike off whichever is not applicable.	

#### A Schedules applicable where declaration relates to disputed tax (applicable in case of PAN)

#### $Combination: Disputed \ tax + JCIT(A)/CIT(A) + Assessee$

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before the JCIT(A)/CIT(A)as on 22.07,2024

Demedan		med in case appear of assessee is pending before the series (11)// err (11)/as on 22:07:2024						
A	Total in	come as per order against which appeal filed	A					
	Dispute	d income out of A						
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year						
В		by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and	B(i)					
		such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)						
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)					
C	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(i)	C					
D	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(ii)	D					
E	Tax effe	ect of enhancement, if any, by JCIT(A) or CIT(A)	Е					
F	Total di	tal disputed tax (C+D+E)						



G	Interest charged on disputed tax	G	
H	Penalty levied on disputed tax	Н	
I	Tax arrears (F+G+H)	I	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New appellant case $0.5*C + D + E$	X	
	Old appellant case 0.55*C +1.1*D + 1.1*E		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New appellant case $0.55*C + 1.1D + 1.1E$	Y	
	Old appellant case $0.6*C + 1.2*D + 1.2*E$		

#### Combination: Disputed tax + DRP draft order+ Assessee

Schedule II. To be filled in case assessee has filed objections with DRP against draft assessment order and DRP has not issued any directions as on 22.07.2024

Α	Total in	ncome as per draft order against which objections filed	Α	
		ed income out of A -		
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Dispute	ed tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Dispute	ed tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Total d	isputed tax (C+D)	Е	
F	Interest	t charged on disputed tax	F	
G	Penalty	levied on disputed tax	G	
H	Tax arr	rears (E+F+G)	Н	
X	Amoun	at payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New ap	ppellant case 0.5*C + D	X	
	Old app	pellant case 0.55*C +1.1*D		
Y	Amoun	at payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
		ppellant case 0.55*C + 1.1D	Y	
	Old app	pellant case 0.6*C +1.2*D		

#### $Combination: Disputed\ tax + DRP\ direction + Assessee$

Schedule III. To be filled in case DRP has issued directions under section 144C of the Income-tax Act in response to objections filed by the assessee and Assessing Officer has not passed the order as per such directions issued by DRP as on 22.07.2024

		This could be produced the order as per such directions is such as year.		1
A	Total in	come as per directions of DRP	A	
	Dispute	d income out of A		
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Total di	sputed tax (C+D)	Е	
F	Interest	charged on disputed tax	F	
G	Penalty	levied on disputed tax	G	
H	Tax arro	ears (E+F+G)	Н	
X	Amoun	t payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New ap	pellant case 0.5*C + D	X	
	Old app	pellant case 0.55*C +1.1*D		
Y	Amoun	t payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New ap	pellant case $0.55*C + 1.1D$	Y	
	Old app	pellant case 0.6*C +1.2*D		

#### $\label{eq:combination:Disputed tax} \textbf{Combination: Disputed tax} + \textbf{ITAT} + \textbf{Assessee}$

 ${\it Schedule\ IV.\ To\ be\ filled\ in\ case\ appeal\ of\ assessee\ is\ pending\ before\ the\ ITAT\ as\ on\ 22.07.2024}$ 

A	Total in	come as per order against which appeal filed	A	
	Dispute	d income out of A		
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Total di	sputed tax (C+D)	Е	
F	Interest	charged on disputed tax	F	
G	Penalty	levied on disputed tax	G	
H	Tax arre	ears (E+F+G)	Н	
X	Amoun	t payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New ap	pellant case 0.5*C + D	X	
	Old app	pellant case 0.55*C +1.1*D		
Y	Amoun	t payable under DTVSV on or after 01.01.2025	Y	

28 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

	New appellant case $0.55 \text{*C} + 1.1D$	
	Old appellant case 0.6*C +1.2*D	

#### $Combination: \ Disputed\ tax + ITAT + Department$

Schedule V. To be filled in case appeal of Department is pending before the ITAT as on 22.07.2024

	11 1 9					
A	Total income as per order against which appeal filed OR to be filed	A				
В	Disputed income out of A	В				
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C				
D	Interest charged on disputed tax	D				
E	Penalty levied on disputed tax	Е				
F	Tax arrears (C+D+E)	F				
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024  New appellant case 0.5*C	X				
	Old appellant case 0.55*C					
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025					
	New appellant case 0.55*C	Y				
	Old appellant case 0.6*C					

#### Combination: Disputed tax + HC + Assessee

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before the High Court as on 22.07,2024

Delicadie	chedule v1. To be fined in ease appear of writ of assessee is pending before the ringh court as on 22.07.2024					
A	Total income as per order against which appeal / writ filed	A				
В	Disputed income out of A	В				
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C				
D	Interest charged on disputed tax	D				
E	Penalty levied on disputed tax	Е				
F	Tax arrears (C+D+E)	F				
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024	X				
	New appellant case C					
	Old appellant case 1.1 C					
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025	Y				
	New appellant case 1.1*C					
	Old appellant case 1.2*C					

#### $Combination: Disputed \ tax + HC + Department \\$

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before the High Court as on 22.07.2024

chedu	e vn. 10 be fined in case appear or writ of Department is pending before the righ	Court as on 22.07.2024
A	Total income as per order against which appeal/ writ filed	A
В	Disputed income out of A	В
С	Disputed tax in relation to disputed income at B	С
D	Interest charged on disputed tax	D
E	Penalty levied on disputed tax	Е
F	Tax arrears (C+D+E)	F
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*C Old appellant case 0.55*C	X
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*C Old appellant case 0.6*C	Y

#### Combination: Disputed tax + SC + Assessee

Schedule VIII. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 22.07.2024

A	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024	X	
	New appellant case C		
	Old appellant case 1.1*C		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025	Y	
	New appellant case 1.1*C		
	Old appellant case 1.2*C		

#### Combination: Disputed tax + SC + Department

Schedule IX. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

A	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	

X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024	X	
	New appellant case 0.5*C		
	Old appellant case 0.55*C		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025	Y	
	New appellant case 0.55*C		
	Old appellant case 0.6*C		

#### Combination: Disputed tax + 264 + Assessee

Schedule X. To be filled in case revision application of assessee under section 264 is pending before the PCIT/CIT as on 22.07.2024

A	Total income as per order against which revision application filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024	X	
	New appellant case C		
	Old appellant case 1.1*C		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025	Y	
	New appellant case 1.1*C		
	Old appellant case 1.2*C		

#### B. Schedules applicable where declaration relates to disputed TDS/TCS (applicable for TAN)

#### $Combination: \ Disputed\ TDS\ /\ TCS\ +\ JCIT(A)/CIT(A)\ +\ Deductor/Collector$

Schedule XI. To be filled in case appeal of assessee is pending before the JCIT(A)/CIT(A) as on 22.07.2024

	Amoun	t of TDS / TCS disputed in appeal	A	A(i)+A(ii)
A	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any financial year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
В	Tax eff	ect of enhancement, if any, by JCIT(A) or CIT(A)	В	
C	Interest	t charged on disputed TDS / TCS	C	
D	Penalty	levied on disputed TDS / TCS	D	
E	TDS / T	CCS arrears (A+B+C+D)	E	
X	Amoun	at payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
		opellant case $0.5*A(i) + A(ii) + B$	X	
	Old app	pellant case $0.55*A(i) + 1.1*A(ii) + 1.1*B$		
Y	Amour	at payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New ap	New appellant case $0.55*A(i) + 1.1*A(ii) + 1.1*B$		
	Old ap	pellant case $0.6*A(i) + 1.20*A(ii) + 1.20*B$		

#### Combination: Disputed TDS/TCS + ITAT + Deductor/Collector

Schedule XII. To be filled in case appeal of assessee is pending before the ITAT as on 22.07.2024

	Amount	of TDS / TCS disputed in appeal	A	A(i)+A(ii)
A	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any financial year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
В	Interest	charged on disputed TDS / TCS	В	
C	Penalty	levied on disputed TDS / TCS	C	
D	TDS / T	CS arrears (A+B+C)	D	
X	Amoun	t payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New appellant case $0.5*A(i) + A(ii) + B$			
	Old app	ellant case 0.55*A(i) +1.1* A(ii) + 1.1*B		
Y	Amoun	t payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New ap	pellant case 0.55*A(i) +1.1* A(ii) + 1.1*B	Y	
	Old app	sellant case 0.6*A(i) +1.2* A(ii) + 1.2*B		

#### Combination: Disputed TDS/TCS + ITAT + Department

 ${\it Schedule~XIII.~To~be~filled~in~case~appeal~of~Department~is~pending~before~the~ITAT~as~on~22.07.2024}$ 

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal		
A	TDS/TCS default for which appeal is filed	A	
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В	
С	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New appellant case 0.5*A	X	
	Old appellant case 0.55*A		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New appellant case 0.55*A	Y	
	Old appellant case 0.6*A		

Combination: Disputed TDS/TCS + HC + Deductor/Collector

Schedule XIV. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before the High Court as on 22.07.2024

Amou	nt of TDS / TCS disputed in appeal		
A	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed	A	
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В	
С	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New appellant case A	X	
	Old appellant case 1.1*A		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New appellant case 1.1*A	Y	
	Old appellant case 1.2*A		

 $Combination: Disputed\ TDS/TCS + HC + Department$ 

Schedule XV. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before the High Court as on 22.07.2024

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A Old appellant case 0.55*A	X		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025  New appellant case 0.55*A  Old appellant case 0.6*A	Y		

Combination: Disputed TDS/TCS + SC + Deductor/Collector

Schedule XVI. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024			
	New appellant case A	X		
	Old appellant case 1.1*A			
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025			
	New appellant case 1.1*A	Y		
i	Old appellant case 1.2*A			

 $\label{eq:combination:Disputed TDS/TCS + SC + Department } \textbf{Combination: Disputed TDS/TCS + SC + Department}$ 

Schedule XVII. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

•	Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A Old appellant case 0.55*A	X		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025  New appellant case 0.55*A  Old appellant case 0.6*A	Y		

Combination: Disputed TDS/TCS + 264 + Deductor/Collector

## Schedule XVIII. To be filled in case revision application of assessee under section 264 is pending before the PCIT/CIT as on 22.07.2024

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
A	TDS/TCS default for which revision application filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024			
	New appellant case A	X		
	Old appellant case 1.1*A			
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025			
	New appellant case 1.1*A	Y		
	Old appellant case 1.2*A			

#### C. Schedule applicable where declaration relates to disputed penalty, interest or fee only (applicable for PAN and TAN)

Combination: Disputed penalty/interest/fee + JCIT(A)/ CIT(A) + Assessee

Schedule XIX. To be filled in case appeal of assessee is pending before the JCIT(A)/ CIT(A) as on 22.07.2024

A	Total ar	nount of penalty / interest / fees per order against which appeal is filed	A	
	Dispute	d amount of penalty / interest / fee out of A	В	B(i)+B(ii)
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Penalty	or interest or fee enhanced by CIT(A)/ JCIT(A)	C	
D	Tax arre	ears $(B(i)+B(ii)+C)$	D	
X	Amount	t payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New ap	pellant case $0.125*B(i) + 0.25B(ii) + 0.25*C$	X	
	Old app	ellant case $0.15*B(i) + 0.3B(ii) + 0.3*C$		
Y	Amount	t payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New ap	pellant case $0.15*B(i) + 0.3*B(ii) + 0.3*C$	Y	
	Old app	ellant case $0.175*B(i) + 0.35*B(ii) + 0.35*C$		

#### Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Assessee

 ${\it Schedule~XX.}~\textbf{To~be~filled~in~case~appeal~of~assessee~is~pending~before~the~ITAT~as~on~22.07.2024$ 

A	Total a	amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal has been filed	A	
	Disput	red penalty / interest / fee due to appeal by assessee -	В	B(i)+B(ii)
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Tax ar	rears $(B(i) + B(ii))$	C	
X		nt payable under DTVSV on or before 31.12.2024 ppellant case 0.125*B(i) + 0.25B(ii) + 0.25*C	X	
		pellant case $0.123^{\circ}$ B(i) + $0.23$ B(ii) + $0.38$ C	Λ	
Y	Amou	nt payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New a	ppellant case $0.15*B(i) + 0.3*B(ii) + 0.3*C$	Y	
	Old ap	pellant case $0.175*B(i) + 0.35*B(ii) + 0.35*C$		

#### Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Department

Schedule XXI. To be filled in case appeal of Department is pending before the ITAT as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty/interest/fee as per order against which appeal filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee relating to issues on which appeal has been filed	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.125*B + 0.125*C Old appellant case 0.15*B + 0.15*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025  New appellant case 0.15*B + 0.15*C  Old appellant case 0.175*B + 0.175*C	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Assessee



#### Schedule XXII. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before the High Court as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ has been filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New appellant case 0.25*B + 0.25*C	X	
	Old appellant case $0.3*B + 0.3*C$		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New appellant case 0.3*B + 0.3*C	Y	
	Old appellant case 0.35*B + 0.35*C		

#### Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Department

Schedule XXIII. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before the High Court as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ has been filed or appeal to be filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.125*B + 0.125*C Old appellant case 0.15*B + 0.15*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025  New appellant case 0.15*B + 0.15*C  Old appellant case 0.175*B + 0.175*C	Y	

#### Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Assessee

Schedule XXIV. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ or SLP has been filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024		
	New appellant case 0.25*B + 0.25*C	X	
	Old appellant case 0.3*B + 0.3*C		
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New appellant case $0.3*B + 0.3*C$	Y	
	Old appellant case 0.35*B + 0.35*C		

#### $Combination: \ Disputed\ penalty/interest/fee + SC + Department$

Schedule XXV. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ or SLP has been filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.125*B + 0.125*C	X	
	Old appellant case 0.125 B + 0.125 C	A	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		
	New appellant case 0.15*B + 0.15*C	Y	
	Old appellant case 0.175*B + 0.175*C	1	

#### $Combination: Disputed\ penalty/interest/fee + 264 + Assessee$

 $Schedule~XXVI.~\textbf{To be filled in case revision application of assessee under section~264 is pending before the PCIT/CIT~as~on~22.07.2024$ 

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal		
A	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which revision application filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in revision application	В	
D	Tax arrears (B)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024  New appellant case 0.25*B + 0.25*C  Old appellant case 0.3*B + 0.3*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025  New appellant case 0.3*B + 0.3*C  Old appellant case 0.35*B + 0.35*C	Y	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

D: In case the appellant opts not to pay tax on additions having effect of reducing loss or depreciation or MAT credit carried forward then the following schedules are to be filled up.

#### Schedule XXVII-A.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Loss/	Loss/	Income taking	Income taking	Tax* plus	Tax* plus	Additional
	unabsorbed	unabsorbed	into account	into account	interest on	interest on	Tax payable in
	depreciation	depreciation	loss/	loss/	Income in	Income in	the year, if any
	carried forward	carried	unabsorbed	unabsorbed	Column (4)	Column (5)	[(7) - (6)]
	as per return	forward after	depreciation in	depreciation in			
	filed	VSVS	Column (2)	Column (3)			
		settlement					
Relevant							
Year							
Relevant							
Year + 1							
Relevant							
year + 2							

<sup>\*</sup>Tax includes surcharge and cess

#### Schedule XXVII-B.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	MAT credit	MAT credit	Income	Income	Tax* plus	Tax* plus	Additional Tax
	carried forward	carried	taking into	taking into	interest on	interest on	payable in the
	as per return	forward	account MAT	account	Income in	Income in	year, if any
	filed	after VSVS	credit in	MAT credit	Column (4)	Column (5)	[(7) - (6)]
		settlement	Column (2)	in Column			
				(3)			
Relevant							
Year							
Relevant							
Year + 1							
Relevant							
year + 2							

<sup>\*</sup>Tax includes surcharge and cess

#### Form-2

# [See rule 5] CERTIFICATE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 92 OF THE FINANCE (NO. 2) ACT, 2024 (UNDER THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS SCHEME, 2024)

	Whereas Mr./Mrs./M/s		(h	ereinafter ref	erred to	as the	declarant)	having
PAN		and	TAN	(mandatory	if	TAN	based	appeal)
	has filed a	declara	tion und	er section 91	of the	Finance	(No.2) A	ct, 2024
(15  of  2)	2024) in Form 1 vide acknowledg	ment nı	ımber		. dated			.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 of the Act and after consideration of relevant material, the following amounts are hereby determined to be payable by the declarant towards full and final settlement of the tax-arrear covered by the said declaration under the Act:



Sl. No.	Assessment	Financial year (to be furnished only if TAN based appeal)	Detail dispute : Appeal Reference Number		Nature of tax-arrear (disputed tax / disputed penalty / disputed interest / disputed fee)	Tax- arrear (Rs.)	Amount payable under section 90 of the Act (Rs.)	Amount already paid against tax- arrear	Balance amount payable / refundable after adjusting amount already paid
(1)	(2)	(3)	4(a)	<b>4</b> (b)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)

The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable, if any, as provided in column (9) above within fifteen days from the date of receipt of this certificate.

In case of non-payment of amount payable within the said period, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made.

Place	
Date	(Designated Authority)

#### Form-3

## [See rule 6]

# INTIMATION OF PAYMENT UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 92 OF FINANCE (NO. 2) ACT, 2024 (UNDER THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS SCHEME, 2024)

To,			
The Designated Authority			
Sir/Madam,			
	ate received from designated ded in respect of		
	TAN(mandata).(to be furnished only if TAN b		appeal), for
the Appeal Reference Num	aber (add row)il of payments made is as under	and Date of Filing	
· —————	• •		
Sl. BSR Code of Bank	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
			Amount (Rs)
Sl. BSR Code of Bank	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Challan	` ′
Sl. BSR Code of Bank  (1) (2)	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)  (3)  Lication, writ petition, special le	Challan (4)	(5)
Sl. BSR Code of Bank  (1) (2)  2. The appeal, objections, appl	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)  (3)  Lication, writ petition, special le	Challan (4)	(5)
Sl. BSR Code of Bank  (1) (2)  2. The appeal, objections, appl (please upload proof of withdr	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)  (3)  Lication, writ petition, special le	Challan (4) ave petition, or claim has be	een withdrawn



## Form-4 [See rule 7]

## ORDER FOR FULL AND FINAL SETTLEMENT OF TAX ARREAR UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 92 READ WITH SECTION 93 OF FINANCE (NO. 2) ACT, 2024

#### (UNDER THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS SCHEME, 2024)

		(UNDEI	CITIE DIRECT	IAA VIVAL	J OF AISH	WAS SCHEME, 2024)	
	larant) having	PAN	A	and TAN (m	andatory if	ame of the declarant) (he TAN based appeal) 024 (15 of 2024);	
the A	nt of ct and granted	a certifi	rupees payable cate setting forth	/ refundable therein the	by the dec	dated	ith the provisions of ne amount payable /
of the	Now, therefor Act, it is hereb			ers conferred	d by sub-se	ction (2) of section 92 i	read with section 93
(a)			has been paider No	•		ards full and final settl	ement of tax-arrear
(b)	prosecution fo	or any of	fence under the Ir	ncome-tax A	ct, 1961 (4	Scheme, from instituting 3 of 1961) or from the inject of the tax-arrear as	mposition of penalty
	Assessment	year	Financial year	Details of		Nature of tax-arrear (disputed tax /	Amount of tax-
			(to be furnished only if TAN based appeal)	settl		disputed tax / disputed penalty / disputed interest / disputed fee)	arrear
	(1)		furnished only	(3 Appeal Reference Number (3a)		disputed penalty / disputed interest /	(5)
it shal leave	ereby clarified I not be lawful petition to con	for the i	furnished only if TAN based appeal) (2)  king a declaration ncome-tax author	Appeal Reference Number (3a)  under this A ity or the dec	Date of filing Appeal (3b)  Act shall no clarant bein	disputed penalty / disputed interest / disputed fee)	the tax position and rit petition or special
it shal leave decision	ereby clarified I not be lawful petition to con	for the i	furnished only if TAN based appeal) (2) king a declaration a the declarant or the declarant	Appeal Reference Number (3a)  under this A ity or the dec	Date of filing Appeal (3b)  Act shall no clarant bein tax authorit	disputed penalty / disputed interest / disputed fee)  (4)  ot amount to conceding g a party in appeal or wi	the tax position and rit petition or special

Note: Strike-off whatever is not applicable.

[Notification No. 104/2024, F. No. 370142/16/2024-TPL] SURBENDU THAKUR, Under Secy.